

Government Gollege for Women Bawani Khera (Bhiwani)



Contact No. 01254-233240

Prospectus 2020-21

Email- gcwbawanikherabwn@gmail.com

Website - gcwbawanikhera.ac.in

परिचायिका 2020 -21 विषय सूची

1. प्राचार्य : सन्देश	3
2. महाविद्यालय : एक संक्षिप्त परिचय	4-5
3. महाविद्यालय परिवार	5
4. दाखिला एवं निर्धारित सीटों का विवरण	6-7
5. सीटो का आरक्षण	7-9
6. विषय चयन , संकाय/ विषय परिवर्तन	10-11
7. शुल्क विवरण	11-14
8 छात्रवृतियां एवं पुरस्कार	14-24
9 आंतरिक मूल्याकंन नियम	24-25
10 महिला प्रकोष्ठ	25
11 चिकित्सा सुविधाएँ	25
12 . पुस्कालय एवं पहचान पत्र	26
13 . मेंटर ग्रुप एवं महाविद्यालय पत्रिका	26
14 . अध्ययन के साथ कमाओ योजना	26-27
15. शैक्षणिक भ्रमण	27
16 . रोजगार मार्गदर्शक केंद्र	27
17 . भित्ति पत्रिका व समाचार पत्र	27
18 . लीगल लिट्रेसी सेल	28
19 . बस पास बनवाने हेतू आवश्यक निर्देश	28
20 विद्यार्थी आचार सर्हिता	29-30



Message from the Principal

Greetings from Government College for Women, Bawani Khera! I take immense pride in saying that ours is an institute that is dedicated to nurturing able and responsible students who hold the capacity of leaving their mark on the world. Education is the most powerful weapon, and its many virtues can enable anyone to rise to success. We conduct the special task of taking this strength to rural India. The College was established in 2012 with a mission to impart education at grass-root level. Our glory and legacy rests in the ability to provide quality education to those often devoid of opportunities, and create an atmosphere of enhanced learning and continual evolution of education. With this opportunity that I have been given to lead the institute, I hope to extend the journey of this college to the path of greatness. It is my duty to ensure that the college remains on the path of progress for its students. I consider myself fortunate to be in a position where I hold the ability to make this journey of gaining education better for students, and strive to address the challenges that they might be faced with. In pursuit of a shared ambition, I represent our diligent and highly competent staff that is there to make the learning experience of our students valuable. I wish to burgeon an environment of mutual growth and respect for everyone associated with the institution. To the students, I'd like to say that may your fervour for education never die and you achieve great heights of success in whichever fields you choose to be in. Good luck, and lets work harmoniously to make this institution a leading example of academic success!

> Leena Kajal Principal

Govt. College for Women, Bawani Khera Prospectus 2020-21



Government College Bawani Khera was established in 2012-13 with the motto of spreading education at grass-root level, to be able to create better human beings. Based in a rural area, we are proud to state that ours is an eco-friendly campus, with a green campus that is spread across 7.5 acres. We have a total faculty of 28 staff members, including 24 regular employees and 4 guest lecturers. Our staff includes highly educated professional with the accreditations of Ph.D. and M.Phil.. The campus is well equipped with well-ventilated classrooms, a resourceful library, computer room, smart class rooms for integrated and advanced learning, laboratories to encourage research and experimentation, a sports ground, and a campus wide lease line internet. These facilities, amongst few others, provide our students the right atmosphere to expand their horizons to attain success. Existing in the world's largest democracy, we also practice & preach democratic values on campus via various methods, including – forming a College Council, and various committees and clubs to exercise freedom of assembly and speech, inclusiveness and equality, consent, and voting. Girl students are also provided with certain special facilities in the shape of a Women Cell, Legal Literacy Cell, and a common room so they can realise what their rights are and how they can be effectively practiced, without getting marginalised. The college does not let its location come in the way of providing all the necessary facilities and opportunities

to its staff and students. Our commitment to quality education is reflected in our highly qualified, competent and dedicated staff members who not only impart education, but in the process also inculcate moral values in students. Despite most being from the rural areas, our students leave no stone unturned to achieve a level of competence and development that can enable them to succeed. Ours is an institution with the will to push the boundaries of human knowledge and provide an unparalleled student experience.

Staff Information

Sr.No.	Name	Designation
1	Dr.Dhramvir Singh	Asso. Professor of Geography
2	Sh.Pankaj Sharma	Asstt. Professor of Psychology
3	Sh.Raman Kumar	Asstt. Professor of Maths
4	Sh.Parveen Kumar	Asstt. Professor of Geography
5	Ms. Deepa	Asst. Professor of English
6	Smt. Seema	Asst. Professor of Comp. Sci.
7	Sh. Amit Khirbat	Asst. Professor of Comp. Sci.
8	Smt. Nisha	Asst. Professor of Commerce
9	Smt. Kiran	Asst. Professor of Commerce
10	Sh. Manoj Kumar	Asst. Professor of Commerce
11	Sh.Narender Kumar	Asst. Professor of Economics
12	Dr. Sunil Kumar	Asst. Professor of Hindi
13	Dr. Neelam	Asstt. Professor of Psychology
14	Sh.Surender Kumar	Asst. Professor of Pol. Science
15	Dr.Pawan Kumar	Asst. Professor of Physics
16	Sh.Hemant Kumar	Asst. Professor of Chemistry
17	Sh.Sachin Kumar	Asst. Professor of Mathematics
18	Sh. Mukesh	Asst. Professor of Geography
19	Smt. Suman	Asst. Professor of Mathematics
20.	Smt. Mithlesh	Asst. Professor of English
21.	Ms. Shalu	Asst. Professor of English
22.	Ms. Kavita	Asst. Professor of English
23	Sh.Sumit Chauhan	Asst. Professor of Physics
24	Dr. Neena Kumari	Asst. Professor of History

Extension Lecturer

Sr. No	Name	Designation
1.	Sh. Rakesh Kumar	Geog.
2.	Dr.Jyoti Sharma	English
3.	Dr. Monika	Hindi
4.	Ms. Sarita	Chemistry

IMPORTANT POINTS TO THE KEPT IN VIEW WHILE MAKING ADMISSION FOR UNDER GRADUATE COURSES FOR ARTS/SCIENCE/COMMERCE

As per the guidlines of Director, Higher Education Haryana admission for the session 2020-21 will strictly online through web portal of the Department. Online Admission shall be done as per latest guidelines issued by the office of the Director General, Higher Education, Haryana, Panchkula and CBLU. Bhiwani.

Admissions in College would be strictly on merit basis.

Admission Guidline and Eligibility stricily according to DGHE and CBLU guidelines as shown on the portal

निर्धारित सीटों का विवरण

B.A Ist Semester (General Course)	240
B.Com Ist Semester	80
B.Sc (N/M) Ist Semester	40

सीटो का आरक्षण

- 1. अनुसूचित जातियां 20%, पिछड़ी जातियां 27% (16% 'ए' ब्लॉक तथा 11% 'बी' ब्लॉक), विशेष पिछड़े वर्ग 10%, आर्थिक रूप से पिछड़े (सामान्य श्रेणी में) 10%, शारीरिक विकलांगता 3%।
- 2. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के प्रवेश के लिए टी.डी.सी.-1 में पांच सीटे निर्धारित/ स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त होगी। इसके लिए उन्हें निदेशक खेलकूद, हरियाणा, चण्डीगढ़ द्वारा जारी ग्रेडिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. एन.सी.सी. तथा एन.एस.एस. के लिए भी एक एक अतिरिक्त सीट होगी, बशर्ते कि प्रवेशार्थी ने आर.डी. परेंड और कैम्प में भाग लिया हो।

DISTRIBUTION AND RESERVATION OF SEATS

(A)Distribution of Seats

The seats shall be distributed as under:

1. All India Category including Haryana 15%

2. Bonafide Residents of Haryana 85%

70% of the seats earmarked for bonafide residents of Haryana will be reserved for the categories mentioned at (B) below, as per State, Govt. policy and reamaining 30% seats will be filled m amongst Haryana General category)

(B) Reservation of Seats for Bonafide Residents of Haryana

The seats shall be reserved for the categories as under:

- (i) Schedule Castes 20%
- (ii) Backward Classes of Haryana 27% (16% for Block-A)

(Except Socially advanced person/& (11% for Block-B)

Sections (Creamy Layer)

- (iii) Special B.C. except socially advanced: 10% persons/sections (creamy layer)
- (iv) Econimicaly Backward Persons in the :10% General Category
- (v) Differently Abled Persons 03%
 - (1% Blind or low vision, 1% Hearing impaired, 1% Locomotive disability or cerebral Palsy) If the seats reserved for physically handicaped persons remain vacant due to nonavailability of suitable handicapped candidates, it may be offered to ex-serviceman and their wards (1%) and dependents of freedom fighters (1%).
- (vi) 3% horizontal reservations will be given to Ex-servicemen/Freedom Fighters and their dependants by providing reservation within reservation of 1% of general category, 1% out of schedule castes and 1% from Backward classes category. As far as block allocation i Block A and B of Backward classes category is concerned, year wise

rotational system will be adopted. For example, if Block 'A' of Backward classes is given seats in the academic year 2014, the next Block i.e. 'B' Block of category of Backward classes will be given seats in the next academic year 2014, the next block i.e. 'B' block of category of Backward classes will be given seats in the next academic year i.e. 2015 and so on. The Colleges/Institutes shall maintain the record for the purpose.

(vii) Candidates who have passed their qualifying examination from a University in the State of Haryana will be deemed to be Residents of Haryana. and will not be required to submitcertificates of bonafide resident of Haryana.

(C) Guidlines for Reservation:

- 1. The Reservation of seats is as per the Reservation Policy of the Haryana Govt. and is subject to any change/amendment made by the Sate Govt. From time to time.
- 2. It the reserved seat(s) of BC Block-A remain vacant, these will be filled up from BC BlockB and vice-versa. The vacant seats of SC category will not be converted into general seats.
- 3. Certificate of SC category and the Backward Class (Block 'A' & 'B'), Special Backward Classes (SBC) and Economically Backward Persons in the General Castes Category (EBP) to be submitted by the candidates on the prescribed proforma alongwith the Admission Form. The BC candidates (Block 'A' & 'B') and Special Backward Classes for benefit of reservation shall also have to furnish an affidavit to the effect that he/she is not covered under the criteria of creamy layer. The said affidavit shall be furnished both by the father and mother of the candidate issued during the current year.
- 4. If a candidate of Haryana General, SC, BC, SBC and EBPG category also apply for Differently Abled/ESM/DFF category will be considered first for Haryana General, SC, BC, SBC, and EBPG category.
- 5. Dependents of Freedom Fighters of Haryana are required to submit a certificate from the concerned Deputy Commissioner.
- 6. Only candidates having permanent disability of not less than 40% (being otherwise fit for admission to the course) will be considered for admission. Differently Abled Disability Certificate must be from the Chief Medical Officer of the concerned District.
- 7. Ex-serviceman and their wards of Haryana are required to submit the certificate form the concerned District Soldier Board.

- 8. All the eligible candidates whether form Haryana or from Reserved Categories may also compete for seats allocated under All India Category. The candidates of reserved categories should be considered first for Haryana General Category seats.
- 9. If the number of seats in any particular category is not a round figure 0.5 above will be taken as one and less than 0.5 shall be ignored.
- 10.Under physically handicapped category at least one candidate will be admitted, even if, the share is less than 0.5 seat.
- 11. The seats remaining vacant under various reserved categories other than the SC category shall be converted into General category only if upto the day of display of final list no candidate belonging to reserved categories is available for admission.
- 12. The person who claims benefit of reservation under other categories shall not be entitled to claim benefit of reservation in the category of Economically Backward Person in the General Castes category.

विशेष

- शारीरिक विकलांगता के आधार पर प्रवेश के लिए स्थाई अपंगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए। इस
 आशय का प्रमाण पत्र जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त मान्य होगा।
- यदि शारीरिक विकलांगता के लिए आरक्षित सीट उपयुक्त प्रार्थी को उपलब्ध न होने पर रिक्त रहती है तो एक प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों के लिए तथा एक प्रतिशत स्वतन्त्रता सैनानियों के आश्रितों से भरी जाएगी।
- भूतपूर्व सैनिक तथा उनके आश्रितों को इस आशय का प्रमाण पत्र जिला सैनिक बोर्ड से प्राप्त करना होगा तथा स्वतन्त्रता सैनानियों के आश्रितों को उपायुक्त से प्रमाण पत्र लाना होगा।
- 🗲 उपरोक्त वर्गो में आरक्षण चाहने वाले प्रवेश फार्म में सम्बन्धित वर्ग में सही का निशान अवश्य लगाएं।

Subject Combination for B.A Course

1	Economics	Geography
2	Economics	Physical Education
3	Geography	History
4	Geography	Physical Education

5	Geography	Political Sciences
6	Geography	Psychology
7	History	Physical Education
8	Political Science	Economics
9	Psyschology	Economics
10	Psychology	Political Science
11	History	Political Science

Subject Combination for B.Sc. (NM) Course

- 1. English, Physics, Math, Chemistry
- 2. English, Physics, Math, Computer Science

संकाय (Faculty/विषय (Subject) परिवर्तन

संकाय/विषय परिवर्तन विश्वविद्यालय के नियमानुसार बिना विलम्ब शुल्क, प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक किया जा सकता है। इसके लिए कॉलेज की ओर से नोटिस बोर्ड पर लगाये गए नोटिस पर ध्यान रखें। इसके लिए निर्धारित फार्म कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। संकाय/विषय परिवर्तन विद्यार्थी का अधिकार नहीं है, यह विभिन्न संकाय/विषयों में उपलब्ध सीटों की संख्या पर निर्भर करता है। हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार यदि किसी विषय में परिवर्तन के कारण छात्रों की संख्या निर्धारित संख्या से कम हो जाती है तो उस विषय में परिवर्तन की अनुमित नहीं होगी। इसी प्रकार प्रवेश के समय यदि किसी कक्षा/विषय में निर्धारित संख्या से कम विद्यार्थी होंगे, तो विद्यार्थियों को विषय/कैटेगरी/संकाय/महाविद्यालय बदलने अनिवार्य होंगे।

विशेष :1.

- विश्वविद्यालय के नियमानुसार संकाय परिवर्तन करने वाले विद्यार्थियों के व्याख्यान/उपस्थिति संकाय परिवर्तन की तिथि से ही गिने जायेंगे।
- 2. संकाय/विषय परिवर्तन करते समय गलत वर्ग (Combination) चयन का सारा दायित्व स्वयं विद्यार्थी का होगा। विद्यार्थी को चाहिए की संकाय/विषय परिवर्तन की लिखित अनुमित प्राप्त होने पर सुनिश्चित करें कि उसका नाम छोड़े गए संकाय/ विषय के रिजस्टर से कट गया और नए संकाय/विषय के कक्षा रिजस्टर में लिखा गया है।

नोट :- विज्ञान संकाय वाला विद्यार्थी अपने संकाय में निर्धारित समय तक परिवर्तन कर वाणिज्य (Commerce) तथा मानविकी संकाय (Arts) में प्रवेश पा सकता है। इसी प्रकार वाणिज्य संकाय वाला विद्यार्थी केवल मानविकी संकाय (Arts) में प्रवेश पा सकता है, परन्तु मानविकी (Arts) संकाय वाला विद्यार्थी अपने संकाय में परिवर्तन नहीं कर सकता, इसलिए वह किसी भी दूसरे संकाय जैसे कि वाणिज्य या विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं पा सकता।

महाविद्यालय से नाम कटा जाना

किसी भी विद्यार्थी का बिना पूर्व अनुमित के महाविद्यालय से लगातार 6 दिन या एक माह में 14 दिन तक अनुपस्थित रहने पर नाम काट दिया जाएगा। पुनः प्रवेश के लिए 500 रूपये शुल्क देना होगा। एक समेस्टर में केवल एक बार ही नाम कटने के 15 दिन के अंदर ही Readmission किया जाएगा।

Govt College for Women, Bawani Khera Fee Details

Session- 2020-21	
B.Sc I	
Admission fee	10
Tution	360
Red Cross	60
Magzine Fee	16
Dilaptation Fee	5
House Exam	15
I Card	20
S.U.F	3
S.A.F	5
Building Fund	20
Heath Fund	10
R.K.F	70
Lib.Sec.	500
Computer Comp.	1200
A.F	204
Elect. Charge	120
Y.W.F	110
Sports Fee	130
Registration Fee	360
NSS	30

Session- 2020-21	
B.Sc II	
Admission fee	0
Tution	360
Red Cross	60
Magzine Fee	16
Dilaptation Fee	5
House Exam	15
I Card	20
S.U.F	3
S.A.F	5
Building Fund	20
Heath Fund	10
R.K.F	70
Lib.Sec.	0
Computer Comp.	0
A.F	204
Elect. Charge	120
Y.W.F	110
Sports Fee	130
Countation Fee	120
NSS	30

E.V.S	240
Alumini Fee	100
HHF	10
Uni.Exam	1200
Uni.Dev. Fee	500
Eligibity Fee	80
Dr. Abdul Kalam	80
Chemistry	84
Math	180
Physics	72
SC/Girls	5434
Total	5794

E.V.S	0
Alumini Fee	0
HHF	10
Uni.Exam	1200
Uni.Dev. Fee	500
Eligibity Fee	0
Dr. Abdul Kalam	80
Chemistry	84
Math	180
Physics	72
SC/Girls	3064

B.A I

Admission fee	10
Tution	360
Red Cross	60
Magzine Fee	16
Dilaptation Fee	5
House Exam	15
I Card	20
S.A.F	3
S.U.F	5
Building Fund	20
Health Fee	10
R.K.F	70
Lib.Sec.	500
Computer Comp.	1200
A.F	204
Elect. Charge	120
Y.W.F	110
Sports Fee	130
Registration Fee	360
NSS	30
E.V.S	240
Alumini Fee	100
HHF	10

B.A II

D.7 X 11	
Admission fee	0
Tution	360
Red Cross	60
Magzine Fee	16
Dilaptation Fee	5
House Exam	15
I Card	20
S.A.F	3
S.U.F	5
Building Fund	20
Health Fee	10
R.K.F	70
Lib.Sec.	0
Computer Comp.	0
A.F	204
Elect. Charge	120
Y.W.F	110
Sports Fee	130
Counttation Fee	120
NSS	30
E.V.S	0
Alumini Fee	0
HHF	10

B.A III

Admission fee	0
Tution	360
Red Cross	60
Magzine Fee	16
Dilaptation Fee	5
House Exam	15
I Card	20
S.A.F	3 5
S.U.F	5
Building Fund	20
Health Fee	10
R.K.F	70
Lib.Sec.	0
Computer Comp.	0
A.F	204
Elect. Charge	120
Y.W.F	110
Sports Fee	130
Counttation Fee	120
NSS	30
E.V.S	0
Alumini Fee	0
HHF	10
Uni.Exam	1200

Uni.Exam	1200
Uni.Dev. Fee	175
Eligibity Fee	80
Dr. Abdul Kalam	80
Total without	
Practical	5133
subject Fee	
Math	180
Geography	60
Psychology	60
SC/Girls without Practical	4773

Uni.Exam	1200
	1200
Uni.Dev. Fee	175
Eligibity Fee	0
Dr. Abdul Kalam	80
Total without	
Practical	2763
subject Fee	
Math	180
Geography	60
Psychology	60
English	0
SC/Girls without	
Practical	2403

Uni.Dev. Fee	175
Eligibity Fee	0
Dr. Abdul Kalam	80
Total without	
Practical	2763
subject Fee	
Math	0
Geography	60
Psychology	60
English	0
SC/Girls without	
Practical	2403

B.Com I

Admission fee	10
Tution	360
Red Cross	60
Magzine Fee	16
Dilaptation Fee	5
House Exam	15
I Card	20
S.A.F	3
S.U.F	5
Building Fund	20
Health Fund	10
R.K.F	70
Lib.Sec.	500
Computer Comp.	180
A.F	204
Elect. Charge	120
Y.W.F	110
Sports Fee	130
Registration Fee	360
NSS	30
E.V.S	240
Alumini Fee	100

B.Com II

2,00111	_
Admission fee	0
Tution	360
Red Cross	60
Magzine Fee	16
Dilaptation Fee	5
House Exam	15
I Card	20
S.A.F	3
S.U.F	5
Building Fund	20
Health Fund	10
R.K.F	70
Lib.Sec.	0
Computer Comp.	0
A.F	204
Elect. Charge	120
Y.W.F	110
Sports Fee	130
Counttation Fee	120
NSS	30
E.V.S	0
Alumini Fee	0

B.ComIII

0
360
60
16
5
15
20
3
5
20
10
70
0
0
204
120
110
130
120
30
0
0

HHF	10
Uni.Exam	1200
Uni.Dev. Fee	500
Eligibity Fee	80
Dr. Abdul Kalam	80
Commerce fund	72
Total	4510
SC/Girls	4150

HFF	10
Uni.Exam	1200
Uni.Dev. Fee	500
Eligibity Fee	0
Dr. Abdul Kalam	80
Commerce fund	72
Total	3160
SC/Girls	2800

HFF	10
Uni.Exam	1200
Uni.Dev. Fee	500
Eligibity Fee	0
Dr. Abdul Kalam	80
Commerce fund	72
Total	3160
SC/Girls	2800

फीस में छूट - आर्थिक सहायता तथा पुस्तक कोष में पुस्तकें

कॉलेज द्वारा निर्धनता, योग्यता, सांस्कृतिक गतिविधियों और खेल आदि की उपलब्धियों के आधार पर विभिन्न फण्डो से आर्थिक पहायता की उक्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। विद्यार्थियों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत की पूरी फीस तथा 10 प्रतिशत की आधी फीस की छूट नियमानुसार प्रदान की जाती है। विद्यार्थी-सहायता निधि तथा बुक बैंक से सुपात्र विद्यार्थियों को सहायता दी जाती। इच्छुक विद्यार्थियों को चाहिए कि निर्धारित समय पर कॉलेज कार्यालय से उपलब्ध आवेदन पत्र भरकर दे तथा निर्दिष्ट तिथियों पर विभन्न समितियों के सामने साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो।

फीस में छूट की सुविधाएं निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर दी जाएगी .

- (1)विद्यार्थी अपनी गत परीक्षा एवं सभी विषयों में उत्तीर्ण हो।
- (2) विद्यार्थी के माता-पिता/संरक्षक राजपत्रित अधिकारी अथवा आयकर दाता न हो।

विशेष: इस छात्रवृति का प्रार्थना-पत्र निर्धारित तिथि तक प्रभारी प्राध्यापक को देना होगा

योग्यता छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय ऋण तथा अन्य छात्रवृत्ति

(क) अल्प आय वर्ग की छात्रवृत्ति:

जिन विद्यार्थियों के माता-पिता की वार्षिक आय, 10,000 रुपये से कम हो रही हो, वे अल्प आय वर्ग छात्रवृति का फार्म भर सकते हैं। इस संबंध में प्रभारी प्राध्यापक से सम्पर्क करें। (ग) नेत्रहीन, मुक बिधर एवं किसी प्रकार के विकलांग विद्यार्थी प्रवेश के समय ही छात्रवृत्ति का फार्म भर सकते हैं। इस संबंध प्रभारी प्राध्यापक से सम्पर्क करें।

(घ) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति :

इस योजना के अंतगर्त जिन विद्यार्थियों ने 10+2 अथवा बी.ए. की परीक्षा June 2020 में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण की हो तथा उनके माता-पिता की आय 25,000 रूपये वार्षिक से अधिक न हो, अपना प्रार्थना पत्र भेज सकते है।

ऐसे विद्यार्थियों को अध्ययन समाप्त करने के पश्चात जब वे अर्थ अर्जन आरम्भ करें, तब उन्हें मासिक किश्तों में ऋण चुकान' पड़ता है, परन्तु जो विद्यार्थी अध्यापक बनकर दस वर्षों तक अध्यापन कार्य करेंगे, उनका ऋण माफ हो जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए छात्र निर्धारित फार्म भरकर आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक भेज दें। फार्म तथा पूर्ण विवरण, प्रभारी प्राध्यापक से प्राप्त किया जा सकता है। जो विद्यार्थी योग्यता अथवा कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हों, वे इस छात्रवृत्ति के अधिकारी नहीं होनी।

कार्यालय महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला द्वारा प्रायोजित सत्र 2020-21 के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

राजकीय महाविद्यालय में चलाई जा रही विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं :

SCHOLARSHIP SCHEMES

Scholarships are offered to deserving and needy students to encourage them to take up Higher education. This incentive falls in line with the motto of Higher Education of the State: <u>Access, Equity</u> and <u>Quality</u>. Generation makes Nation. Brief notes regarding such schemes are given below:-

1. <u>POST MATRIC SCHOLARSHIP TO THE STUDENTS BELONGING TO SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES</u>

The scheme was instituted to provide financial assistance to the SC/ST students studying at post matriculation stage to enable them to complete their education. The students whose parents/guardians annual income is Rs. 2.50 lac or below are given scholarships in the range of Rs. 300/- p.m. including reimbursement of maintenance allowance, tuition fee, exam fee and other fund.

2 POST MATRIC SCHOLARSHIP FOR WELFARE OF BACKWARD CLASSES

The Scheme was instituted to promote education among students of Haryana domicile belonging to Backward Classes. This scheme provides a stipend and reimbursement of tuition fee and examination fee to those BC students whose parent's/guardian's annual income from all sources is Rs. 1,50,000/- at present as per the guidelines of the social welfare department the eligible students are given only maintenance allowance. Only maintenance allowance as per rates given below:-

	UG
Day Scholar	Rs. 210/- p.m. for 10 months for fresh for 12 months for renewal

3. <u>CONSOLIDATED STIPEND SCHEME FOR THE WELFARE OF SCHEDULED CASTE STUDENTS PURSUING HIGHER EDUCATION IN GOVT. COLLEGES OF HARYANA.</u>

Under this scheme a stipend of Rs. 1000/- P.M for twelve months and an additional amount of Rs. 500/- P.M for twelve months to those S.C Students who are availing hostel facility has been given through electronic transaction

4. PROVIDING BOOKS TO SC STUDENTS OF GOVT. COLLEGES.

Under this scheme an amount of Rs. 2000/- P.A. for purchasing books, is given to the deserving SC students. The payment has been made through electronic transaction.

5. MERIT SCHOLARSHIP TO UNDER GRADUATE GIRL STUDENTS

It has been instituted in order to attain the national goal in making all our efforts to provide good education and bringing women in the mainstream of the society. The 10 topper girl students who after passing 10+2 class with at least 60% marks are studying in any Govt. institution pursuing general degree courses are awarded under the scheme. The amount of the scholarship awarded has been Rs. 3000/- per college per student annually.

6 HARYANA STATE (MERITORIOUS INCENTIVE SCHEME) SCHOLARSHIP SCHEME

Under the scheme the male students (general category), female students (general category) and both male and female students (S.C. category) are given fixed annual scholarship based on their position/performance in Annual University Examination, in graduate classes at college level. The students who stand first in the Merit have been given Rs. 5000/- p.a., Second Rs. 3000/- p.a. Third 2000/- p.a.

7. <u>HARYANA STATE MERITORIOUS INCENTIVE SCHEME FOR THE STUDENTS WHO ATTAIN MERIT POSITION IN CBSE ANNUAL EXAMS</u>.

The objective of the Scheme is to encourage the Meritorious Students who attain Top position in CBSE annual exams, by giving them a substantial amount as a motivating incentive. Under this Scheme two students (one boy & one girl student) are given annual Incentive based on their Merit position/performance in Haryana State in annual examination of 12th of CBSE every year. Under this scheme the topers (1 Girl and 1 Boy) of 12th are awarded the actual fees paid by him /her upto Rs. 1,00,000/- p.a. respectively.

8. STIPEND SCHEME FOR THE WELFARE OF GRAND CHILDREN OF FREEDOM FIGHTERS.

In this scheme Rs.2000/- P.A. for books and a stipend of Rs. 1000/- per month for twelve months are given to all such students.

9 STATE MERIT SCHOLARSHIP

This scheme provides an award to the students on the basis of Board/University merit. Detail of Rate of scholarship is as under:-

At Graduate level 300/- per month for the whole year

This scheme has benefited 500 students on the basis of 10+2 examination and 205 students on the basis of TDC-III university examination.

10 LOWER INCOME GROUP (NON-PLAN)

This scheme was initiated with the aim of reaching out to the economically weaker sections of the society i.e. low income group students who without the financial support provided by the Government would not be in a position to pursue higher studies. The students whose parents/guardian's annual income limit is Rs. 12,000/- or less than it are covered in this scheme. Under this scheme a stipend of Rs. 27/- P.M., Tuition Fees, Exam Fees and other funds is given to the students.

For more details you can visit the link given below:

https://highereduhry.com/index.php/scholarship

छात्रवृत्ति का नवीनीकरण

जिन विद्यार्थियों ने गत वर्ष किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त की हो, उन्हें नवीनीकरण हेतु विवरण निर्धारित तिथि से पहले भेजना होगा। देरी से प्राप्त होने वाले नवीनीकरण मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस विषय में सम्बन्धित प्रभारी प्राध्यापकों से सम्पर्क करें।

पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए फीस छूट एवं छात्रवृति ।

पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति प्राप्त करने हेतु फार्म ऑनलाईन भर कर, इसकी हार्ड कॉपी निचित समय अवधि संबन्धित भारी के पास जमा करवानी होगी।

ये सुविधाएं निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

1.विद्यार्थी का अपनी गत परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

- 2. विद्यार्थी के माता-पिता/संरक्षक की कुल आय 1,50,000/- वार्षिक से कम हो।
- 3. पढ़ाई में व्यवधान होने पर प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट का प्रमाण -पत्र प्राप्त करना होगा।
- 4. यदि किसी विद्यार्थी की Re-appear हो, तो वह परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रार्थना पत्र दे सकता है।
 - 5 अनुत्तीर्ण छात्रा छात्रवृति के पात्र नहीं होगे।
 - 6 विद्यार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
 - 7 माता-पिता यदि सरकारी कर्मचारी है तो आय का प्रमाण पत्र अपने DDO से और यदि प्राईवेट सर्विस में है तो आय प्रमाण समबंधित सक्षम अधिकारी से लेना होगा।
 - 8 यदि माता-पिता कृषि कार्य करते हैं तो आय का प्रमाण पत्र तहसीलदार से लेना होगा।

विशेष: अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी फीस छूट, छात्रवृति एवं बैंक, खाता खुलवाने आदि के बारे में प्रभारी प्राध्यापक से मिले और नोटिस बोर्ड नियमित रूप से देखें।

विषेश :- सभी छात्रवृति प्राप्त करने के लिए विशेष।

- 1. सभी छात्रवृति पात्रों को राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना बचत खाता खुलवाना अनिवार्य है। केवल एक खाता क्रमांक अंकित करें|
- 2. सभी पात्रों को अपने प्रार्थना पत्र के साथ बैंक खाता पास बुक, आय प्रमाणपत्र, सभी परिक्षाओं को प्रमाण पत्र, पहचान पत्र की रसीद व ऑन लाईन फार्म की प्रति जमा करवानी होगी जो उन्हे www.highereduhry.com पर भरी जानी है।
- 3. सभी पात्रों को अपना युनीक आई. डी. बनवाना होगा।
- 4. सभी छात्रवृति पात्रों को समय-समय पर नोटिस बोर्ड देखकर जरूरी जानकारियां संबंधित प्रभारी को जमा करानी होगी।
- 5. छात्रवृति की शर्ते समय पर पूरी न करने पर छात्रवृति न मिलने के लिए छात्रा स्वम् जिम्मेदार होगा।

 एन.एस.एस, खेलकूद, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां।

छात्राओं के सर्वागीण विकाश हेतु एन.एस.एस., खेलकूद एवं विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजना वर्षभ चलता रहता है। खेलकूद में जूडो, वॉलीबाल, बास्केटबाल, क्रिकेट, खो-खो, हैंडबाल, मुक्केबाजी, योगा, स्थलेकिन फुटबाल शतरंज, आर्चरी, कुश्ती इत्यादि में छात्राएं अपनी योग्यता एवं इच्छा अनुसार अन्त: महाविद्यालय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय र राज्यस्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। इस संबंध में प्रभारी प्राध्यापकों से सम्पर्क करें।

एन.एस.एस की हमारे महाविद्यालय में एक यूनिट कार्यरत हैं एन.एस.एस. द्वारा सत्र के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में विषय समितियों (Subject Societies) का गठन किया जाता है। स्त्र के दौरान विभिसमितियों द्वारा निबन्ध प्रतियोगिता, स्लोगन राईटिंग, पेपर रीडिंग, कविता, विषय-प्रश्नोत्तरी, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तनी, भाषण, वाद-विवाद इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

सांस्कृतिक गतिविधियों में हमारे महाविद्यालय में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तत पश्चात युवा समारोह में प्रतियोगिता तथा उमंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है | इसके अंतर्गत गायन, वादन, नाटक (हिंदी, हरियाणवीं), नृत्य (एकल एवं समूह), वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, कविता-पाठ प्रतियोगिता मूक अभिनय, कोरियो ग्राफी एवं नृत्य संयोजन इत्यादि का अंत महाविद्यालय, क्षेत्रीय, विश्वविद्यालय एवं राज्यस्तर पर छात्राओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का सुअवसर मिलता है। इस संबंध में डीन (सांस्कृतिक गतिविधियों) से सम्पर्क करें:

खेल-कूद, सांस्कृतिक गतिविधि, एन.सी.सी., एन.एस.एस. महिला प्रकोष्ठ, ईको क्लब, ग्रीन क्लब, इनमें से किसी एक गतिविधि में भाग लेना अनिवार्य होगा।

कॉलेज काउन्सिल द्वारा निर्धारित विभिन्न पुरस्कारों के नियम शिक्षा से सम्बन्धित पारितोषिक निर्धारण के नियम

महाविद्यालय परीक्षा

क) विश्वविद्यालय में प्रथम दस स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र (Roll of Honour) तथा ₹ 1100 प्रदान किए जाएंगे। ख) प्रत्येक कक्षा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर मेरिट सर्टिफिकेट एवम् क्रमश: ₹ 300/-, ₹ 200/- तथा ₹ 100/- प्रदान किए जाएंगे, बशर्ते उसने स्नातक स्तर पर न्यनूतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों तथा विश्वविद्यालय की योग्यता सुची में स्थान प्राप्त न किया हो एवं सभी विषयों में पास होना अनिवार्य है |

विज्ञान प्रदर्शनी

- क) राज्य स्तर पर मॉडल प्रदर्शित करने पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ₹ 700/- + College Colour , द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को ₹ 500/- + College Colour तथा तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को ₹ 300/- + College Colour दिए जाएगे तथा सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार को (Best Explanator) को ₹400/- तथा मेरिट सार्टिफिकेट दिया जाएगा।
- ख) जिला स्तर (Distt. Level) एवं अन्तर्महाविद्यालय (Inter-College) स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले को ₹ 400/- + College Colour, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को ₹ 300/- + College Colour तथा तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को ₹ 200/- + College Colour तथा Best Explantor (सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार) को ₹ 200/- + Merit Certificate दिए जाएंगे। इस प्रतियोगिता मेंsa अगर तीन मॉडल प्रदर्शित है तो प्रथम आने वाले प्रतिभागी को ही पुरस्कार दिया जाएगा तथा तीन से सात मॉडल प्रदर्शित किये जाते है तो पहले दो प्रतिभागियों को प्रथम एवं द्वितीय आने वालों को पुरस्कार दिया जायेगा और सात से ज्यादा प्रतिभागी हो तो पहले तीन प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे।

सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रस्कार

1. International:

Cultural exchange Programmes among the citizens

Of different countries:

(a) Position
$$1^{st} = 2100/-$$
 Roll of Honour $2^{nd} = 1500/-$ -do-
 $3^{rd} = 1000/-$ -do-

(b) Participation= 900/-

-do-

2) All India Level:

National Youth Festival/All India-Inter Universities

Youth Festival

(a)) Position $1^{st} = 900/-$

Roll of Honour

 $2^{nd} = 8$

800/-- -do-

(b) Participation=

600/-

-do-

3) North Zone:-

North Zone Inter -University Youth Festival

a) Position 1^{st}

700/-

Roll of Honour

 $2^{nd} =$

600/-

do-

b)Participation = 400/-

College Colour

4) IZYF (Univ. Level):-

Inter Zonal Youth Festival

Position $1^{st} = 500/$

College Colour

 $2^{nd} = 400/-$

-do-

Best Actor/ Actress in ZYF= 400/-

College Colour

5) Any other:-

National Level

1st= 800/- College Colour

Competitions

2nd = 600/-

College Colour

(One time)

3rd = 400/-

College Colour

State Level

1st = 400/-

College Colour

Competition

 $2^{\text{nd}} = 300/-$

College Colour

6) Inter College / District Level Items:-

Inter college declamation, debate, Poetic-recitation, Rangoli, Painting Singing, Quiz, Poster Making, Dancing Competitions etc.

Position
$$1^{st} = 300$$
/- Merit Certificate
$$2^{nd} = 200$$
/- -do-
$$3^{rd} = 100$$
/- -do-

खेलकूद गतिविधियों के पुरस्कार

1. International

(a) Position
$$1^{st} = 2100/-$$
 Roll on Honour $2^{nd} = 1500/-$ -do-
 $3^{rd} = 1000/-$ -do-
(b) Participation = 900/- -do-

2. All India Inter University/National Level:

(a) Position
$$1^{st} = 900/-$$
 Roll on Honour $2^{nd} = 800/-$ -do-
 $3^{rd} = 700/-$ -do-
(b) Participation = $600/-$ -do-

3. Zonal Level:

(a) Position
$$1^{st} = 700/$$
-
$$2^{nd} = 600/$$
-
$$3^{rd} = 500/$$
-
-do-
(b) Participation = 400/-
$$College Colour$$

4. University/ State level

(a) Position
$$1^{st} = 500/-$$
 College Colour $2^{nd} = 400/-$ -do-
$$3^{rd} = 300/-$$
 -do-

- 5. Inter College Zonal level:-
 - (a) Position $1^{st} = 250/$ College Colour

 $2^{\text{nd}} = 200/-$ -do-

6. College Level Activities

Best Athlete 1100/- College Colour

Annual Athletic Meet = $1^{st} = 300/$ -

 $2^{nd} = 200/-$

 $3^{rd} = 100/-$

- राष्ट्रीय सेवा योजना गतिविधियों के पुरस्कार

All India Level: -

(i) National Integration Camp NIC (Best Camper)
 (ii) Participation in RD Parade:
 : 900 + Roll of Honour
 :600 + Roll of Honour

(iii) Participation in NIC (National Integration Camp) : 400 + College Colour

Any Other/College Level: -

(i) Best N.S.S. Volunteer : 2 Prizes 500 + College Colour

नोट :- ऊपर निर्दिष्ट पुरस्कार राशि को समय व परिस्थिति के अनुसार कॉलेज कौंसिल की सहमति से प्राचार्य द्वारा कम या अधिक किय जा सकता है।

Legal Literacy Cell Prizes

Legal Literacy Cell Competition: College Colour. (Cash Prizes given by the State Govt.)

College Level -- Merit Participation Certificate

(प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय Prize)

(जिला स्तर पर Position Holders को) Merit Certificate and college colour

(मंडल स्तर पर (as per govt. Instruction) -1st =5000/-

 $-2^{nd} = 4000/-$

 $-3^{rd} = 3000/-$

Merit Certificate and college colour

राज्य स्तर पर -1st =11000/-

$$-2^{\text{nd}} = 8000/-$$

$$-3^{rd} = 5000/-$$

Roll of Honour

Internal Assessment

- 1. For all Undergraduate Courses internal assessment shall be of 20% marks in each theory paper in each semester. Each theory paper is based on the following criteria:
- (i) Two Handwritten Assignments: 20%.

(1st Assignment after one month & 2nd Assignment after two month)

(ii) One Class Test (one period duration) : 60%

(ii) Attendance : 20%

Marks for Attendance will be given as under

85% onwards : 5 marks

81% to 85% : 4 marks

76% to 80% : 3 marks

71% to 75% : 2 marks

For students engaged in co-curricular activities and on authentic medical grounds duly approved by the Principal. A candidate who fails to pass the whole examination (First, Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth Semester) within five years of his admission to the course, shall be required to repeat the course de novo.

Permission for joining late shall not be accepted as a justification for condoning deficiency in lectures. Provided that in case a candidate who is allowed late admission as a result of any change in the rules/admission policy made by the University, the lectures shall be counted from the date of admission or from the eleventh day of the date on which the decision to change the rules or admission policy is taken, whichever is earlier.

If a student remains absent from the class for continuous for 6 days or 14 days in a month his/her name will be struck off from the college roll and his/her parents will also be informed. Readmission of such students is allowed only once in a Semester with in 15 days from the date of name struck off.

कम उपस्थितियों के कारण विश्वविद्यालय परीक्षा से रोका जाना

कॉलेज की ओर से केवल वे विद्यार्थी ही विश्वविद्यालय परीक्षा दे सकेंगे, जिनकी अपने सभी पाठ्य और प्रैक्टिकल विषयों मेंक से कम 75 प्रतिशत उपस्थितियां हों और उनका आचरण भी संतोषजनक हो। आंतरिक मल्यांकन प्रणाली सभी कक्षाओं पर लाग होगी।

महिला प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में सत्र 2012-13 महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। तब से समय-समय यह प्रकोष्ठ महिला उत्थान के लिए भाषण, वाद-विवाद प्रतियोगिता, विस्तार भाषण एवं कार्यशाला का आयोजन करता रहा हैं, जिससे छात्राओं का मनोबल सुदृढ़ होता है। महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित विभिन्न पकार की महाविद्यालय तथा अर्तमहाविद्यालय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में विजेताओं को | women Cell Grant से क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को ₹ 300/-, ₹ 200/- व ₹ 100/- की राशि पुस्कार स्वरुप प्रदान की जाती है। महिला प्रकोष्ठ में छात्राओं के बौद्धिक वं मानसिक विकास के लिए एक पुस्तकालय है जिसमें श्रेष्ठ पुस्तकों का संग्रह है। इस प्रकोष्ठ द्वारा छात्राओं के स्वस्थ विकास के लिए योग एवं फिटनेस शिविरों का आयोजन भी समय-समय पर किया जाता है। उपर्युक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त समय-समय पर उच्चतर शिक्षा महानिदेशक द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। छात्राएं सभी प्रकार की समस्याओं एवं उत्पीड़न के निवारण हेतु महिला प्रकोष्ठ प्रभारी प्राध्यापिका से सम्पर्क स्थापित कर सकती हैं।

चिकित्सा सुविधाएं (Medical Facilities)

छात्राओं की शारीरिक आरोग्यता हेतू महाविद्यालय प्रांगन के साथ एक अल्पकालीन डिस्पैंसरी भी उपलब्ध है, जिसकी सेवाएं सभी कार्य-दिवसों को उपलब्ध रहती है। डिस्पैंसरी में प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित उपकरण उपलब्ध हैं तथा विद्यार्थियों को औषधियां प्रदान की जाती है। विद्यार्थी अपनी शारीरिक जांच हेतू इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं|

पुस्तकालय एवं पहचान पत्र

महाविद्यालय का पुस्तकालय विशेष रुप से समृद्ध है। इसमें पुस्तकों की कुल संख्या 3612 है। 03 राष्ट्रीय समाचार पत्र तथा 02 पत्रिकाएं मंगवाई जाती है। छात्राओं के लिए अलग से अध्ययन कक्ष है जिसमें विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था है। बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम के विद्यार्थियों को दो पुस्तकें दी जाती हैं। विद्यार्थी 14 दिन तक पुस्तकें अपने पास रख सकते हैं। तदोपरान्त उन्हें एक रुपया प्रतिदिन प्रति पुस्तक विलम्ब शुल्क देना होगा। स्मरण रहे कि पुस्तकालय केवल रिववार व अन्य राजपित्रत अवकाश के दिनों में ही बंद होता है। ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन अवकाश के दिनों में पुस्तकालय सप्ताह में पांच दिन खुला रहता है। अतः विद्यार्थी इन दिनों में है अपनी पुस्तकें वापिस लौटा सकते हैं। विद्यार्थियों के अपने हित में यही है कि वे पुस्तक खो जाने अथवा खराब हो जाने पर तत्काल उसकी सूचना पुस्तकालयाध्यक्ष को दें। पुस्तक खो जाने पर तथा खराब हो जाने पर उसके प्रतिरुप में नई पुस्तक देनी पड़ती है या उसका पूरा मूल्य एवं विशेष जुर्माना देना होगा। सभी पुस्तकों को संभालकर रखना विद्यार्थियों का उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य है। यदि पहचान पत्र खो जाए तो नजदीकी थाने में रिर्पोट दर्ज करवाकर 50 ₹ की धनराशि कार्यालय को देकर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। संदर्भ ग्रंथ (Reference Book) तथा पत्र-पित्रकाएं पुस्तकालय में बैठकर पढ़ी जा सकती है। पुस्तकालय में ओपन शेल्फ सिस्टम है। प्रवेश (Admission) के समय विद्यार्थी फीस क्लर्क से पहचान पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। हमारे पुस्तकालय में स्वयं पुस्तक चयन करो और पढ़ो की व्यवस्था है।

Mentor Groups

महाविद्यालय में छात्रों की महाविद्यालय संबंधी एवं व्यक्तिगत समस्याओं के निवारण हेतु एवं उनके व्यक्तित्व विकास के लिए Mentor Groups का गठन किया गया है जिसकी पाक्षिक बैठक होती रहती है। प्रत्येक ग्रुप में लगभग 40 से 50 विद्यार्थी होते हैं जिसक, जिसे Mentor कहा जाता है | इन सभाओं में महाविद्यालय परिसर की सफाई, जन चेतना एवं अन्य सामाजिक कार्यों के विषय में भी प्रेरित किया जाता है | सत्र के प्रारम्भ में ही Mentor Groups का गठन कर दिया जाता है, जिनका कार्य वर्ष पर्यन्त चलता रहता है।

Earn While You Learn Scheme

यह योजना सत्र 2012-13 से उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा हिरयाणा के महाविद्यालय में योग्य एवं जरुरतमंद छात्राओं के लिए रम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत छात्राओं को विभिन्न प्रयोगशालाओं, कार्यालयों, पुस्तकालय,कम्प्युटर एवं (I.T.) सम्बंधित कार्यों में अनुभव अर्जित करने के साथ-साथ रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत इच्छुक विद्यार्थी जुलाई समं प्रार्थना -पत्र जमा करवा सकते हैं। योग्य एवं कर्मठ विद्यार्थी वर्ग का ही चयन किया जाता है। चयनित विद्यार्थी को ₹ 100/- प्रति रे प्रतिदिन के हिसाब से प्रतिमास अधिकतम ₹ 2400 की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए विद्यार्थी प्रभारी प्राध्यापक/प्राध पिका से सम्पर्क कर सकते हैं।

शैक्षणिक भ्रमण

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं व्यवहारिक विकास हेतु समय-समय पर महाविद्यालय की तरफ से ग्रीष्म एवं शरदावकाश के दौरान विभिन्न शैक्षणिक भ्रमणों का आयोजन किया जाता है। इन भ्रमणों के दौरान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं नानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कराया जाता है।

Placement Cell

विद्यार्थियों के उज्जवल कैरियर एवं व्यक्तित्व विकास के लिए महाविद्यालय में एक रोजगार मार्गदर्शक प्रकोष्ठ भी कार्यरत है। प्रकोष्ठ विद्यार्थियों के लिए रोजगार से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। अतः विद्यार्थी रोजगार परक सूचनाओं के लिए प्रभारी प्रध्यापक से परामर्श कर सकते हैं। प्रतियागिताओं से सम्बन्धित पुस्तकें एवं पत्रिकाएं भी प्रकोष्ठ में उपलब्ध हैं।

विभिन्न क्षेत्रों मे रोजगार के अवसरो एवं विद्यार्थियों के सर्वगीण विकास हेतु विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर विस्तार भाषण तथा क्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाते हैं। शैक्षिणिक सत्र के उत्तरार्घ में रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमे विभिन्न कंपनियों द्वारा विद्यार्थियों को नौकरियों मे चयन किया जाता है।

-भित्ति पत्रिका व समाचार पत्र-

महाविद्यालय में विद्यार्थियों को 'भित्ति पत्रिका' द्वारा अपनी विशिष्ट कला को निखारने का अनोखा अवसर दिया जाता है। जिस अंतर्गत विद्यार्थी अपने काव्य, फोटोग्राफी, कार्टून, चित्रात्मक, रचनात्मक, लेखन आदि संबंधी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकते है। साथ साथ भित्ति पत्रिका में विद्यार्थियों के लिए शब्दकोष, देश-विदेश की खबरें, सामान्य-ज्ञान आदि सामग्री भी प्रदर्शित की जाती है। उपर्य विषयों संबंधित रचनाओं में से प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को प्रमाण पत्र दिया जाता है। छात्रा-संपादक व उपसंपाद को मैरिट सर्टिफिकेट भी दिया जाता है।

Legal Literacy Cell

महाविद्यालय में सत्र 2012-13 से Legal Literacy Cell की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत सामाजिक, विधिक एवं कानून विषयों पर 6 प्रकार की प्रतियोगिताएँ करवाई जाती है भाषण प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन प्रतियागिता, नारा लेखन प्रतियागिता, नारा लेख, (Slogan Writing), एवं रंग भरो प्रतियोगिता (On the Spot Painting) ये प्रतियोगिताएं तीन स्तर पर होती है। महाविद्यालय स्तर (College Level), जिला स्तर (District Level), मण्डल स्तर (District Level), तत्पश्चात (Division Level) पुरस्कार विजेता राज्य स्तर (State Level) की प्रतियोगिता में भाग लेता है।

बस पास बनवाने हेतु आवश्यक निर्देश

- 1. केवल उन्हीं विद्यार्थियों के बस पास अनुमोदित किये जायेंगे, जो प्रवेश के समय प्रवेश पत्र में इस संबंध में वांछित विवरण देंगे।
- 2. विद्यार्थियों को निर्धारित फार्म में अपना पूर्ण विवरण भरना होगा तथा तीन रंगीन फोटो प्रभारी प्राध्यापक से हस्ताक्षरित करवाकर साथ लगाने होंगे। यहां यह उल्लेखनीय है कि बस पास प्रायः छह मास की अविध तक के बनाए जाते है।
- 3. पहचान पत्र (Identity Card) में विद्यार्थी का जो पता अंकित होगा वहीं तक का बस पास बनाया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी अपने स्थायी पते (जो कि पहचान-पत्र में अंकित है) वे दूर अपने रिश्तेदार के घर पर रह रहा है और वहां तक का बस का पास बनवाना चाहता है तो अपने माता-पिता /अभिभावक से हस्ताक्षरित आवेदन करें।
- 4. बस-पास 60 किलोमीटर से अधिक दूरी का नहीं बनेगा।
- 5. बस पास बनवाने के लिए विद्यार्थी निर्धारित फार्म के साथ राशन कार्ड व महाविद्यालय पहचान पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।
- 6. बस पास फार्म पर चिपकाई जाने वाली विद्यार्थी की फोटो व प्रवेश फार्म पर चिपकाई गई फोटो एक समान होनी चाहिए और यह फोटो नवीनतम होनी चाहिए। अन्यथा बस पास नहीं बनाया जाएगा।
- 7. बस-पास के सम्बन्ध में अन्य जानकारी या समस्या हेतु प्रभारी प्राध्यापक से सम्पर्क करें।

विद्यार्थी आचार सिहंता - नियमावली

विद्यार्थियों के लिए नियम अधिकार तथा कर्तव्य

किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर विद्यार्थी स्वम् उतरदायी होंगे |

- 1. महाविद्यालय परिसर में Ragging पूर्णतया कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। यदि कोई विद्यार्थी Ragging में शामिल पाया या या उसका व्यवहार आक्रमक पाया जाता है तो इस बारे में उसके विरूध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- 2. कॉलेज परिसर में आने पर सर्वप्रथम सूचना-पट्ट अवश्य देखें और आवश्यक निर्देश ध्यान से पढ़ें।
- 3. कॉलेज परिसर में पहचान पत्र अपने साथ अवश्य रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर दिखा सकें अन्यथा विद्यार्थी को जुर्माना ना पड़ेगा।
- 4. खाली समय में वाचनालय एवं पुस्तकालय का सदुपयोग करें।
- 5. मेंटर ग्रुप मीटिंग में तथा कॉलेज में आयोजित उत्सवों में सम्मिलित होना आवश्यक है, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ जुर्माना किया जाएगा।
- 6. मेंटर आपका संरक्षक है। अपनी किसी भी समस्या के समाधान हेतु मेंटर से सम्पर्क स्थापित करें।
- 7. कॉलेज के प्रांगण को स्वच्छ रखें। यह आपका प्रांगण है। दीवारों एवं ब्लैक बोर्ड पर अवांछित कुछ भी न लिखें।
- 8. उद्यान स्वच्छ रखें। कूड़ा कृपया कूड़ादान में डालें।
- 9. वाहन का रजिस्ट्रेशन नं., ड्राईविंग लाईसेंस व पहचान पत्र में अवश्य दर्ज होना चाहिए अन्यथा महाविद्यालय में वाहन आने नहीं दिया जायेगा।
- 10. कॉलेज की सम्पति आपकी है, इसको क्षति पहुंचाना अपराध है।
- 11. यदि कॉलेज के खाली कमरों या बरामदों में पंखे चल रहे हो एवं बिजली के बल्ब जल रहे हों, तो उन्हें बंद करना आपका नैतिक कर्त्तव्य है।
- 12. साईकिल/ मोटरसाइकिल लाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को कॉलेज से टोकन लेना होगा। साईकिल/ मोटरसाइकिल पर ताला लगाकर ही स्टैण्ड पर खड़ा करना होगा |
- 13. यदि कोई विद्यार्थी किसी कारण वश बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसे चाहिए कि तुरंत विधिवत आवेदन पत्र देकर अपना नाम कटवा लें अन्यथा जुर्माना होता रहेगा, जो उसकी प्रतिभूति से काटा जायेगा।

- 14. कॉलेज छोड़ने के एक वर्ष के भीतर ही आवेदन पत्र देकर अपनी प्रतिभूति ले लेनी चाहिए। विश्वविद्यालय परीक्षा तक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र अगले वर्ष जून माह तक अपनी प्रतिभूति प्राप्त कर सकते है अन्यथा वह सरकारी कोष में | हो जाएगी। प्रतिभूति वापिस लेते समय पहचान पत्र साथ लाएं।
- 15. विद्यालय में धुम्रपान तथा किसी तरह का नशा करना कानूनन वर्जित है।
- 16. महाद्यालय में किसी प्रकार की राशि प्राप्त करने के लिए अपने मेंटर के हस्ताक्षर करवाने आवश्यक हैं, चाहे प्रतिभूति का हो या छात्रवृति का।
- 17. फीस की रसीद संभाल कर रखे। आवश्यकता पड़ने पर रसीद का संदर्भ देना पड़ सकता है।
- 18. बाहरी व्यक्ति को कॉलेज के समय में विद्यार्थी से मिलने की अनुमित नहीं है, असामान्य स्थिति में प्राचार्य की अनुमित आवश्यक है।
- 19. हरियाणा सरकार के आदेशों के अनुसार कोई भी विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में चौपहिया वाहन नहीं ला सकता।